# आरटीएस में नहीं मांगें गैर-जरूरी दस्तावेज

**पटना।** जन उपयोगी सेवाओं को सहज तरीके से जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार ने बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम (आरटीएस), 2011 लागू किया है। इसके तहत कुछ सेवा देने के लिए गैर-जरूरी दस्तावेज आवेदन करने वालों से मांगे जाते हैं। जबकि मांगे गए दस्तावेज की संबंधित जन उपयोगी सेवा प्राप्त करने में कोई उपयोग नहीं है। मसलन आय प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने वालों से आवेदन के साथ आय संबंधी राजस्व कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन मांगा जाता है। हकीकत में इस दस्तावेज की प्रमाण-पत्र बनवाने में कोई जरूरत नहीं है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने आरटीएम के तहत दी जाने वाली सेवाओं में आने वाली ऐसी परेशानी उत्पन्न नहीं करने का आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस मामले को लेकर सभी प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है।

इस पत्र में आरटीएस के तहत दी जाने वाली तमाम सेवाओं में गैर-जरूरी दस्तावेजों की मांग नहीं करने के निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। पत्र के अनुसार, हाल में मुख्यमंत्री की सेवा यात्रा के दौरान जिलों में हुई समीक्षा बैठक में इस तरह की कई शिकायतें मिली हैं। इसके बाद विभाग ने इस नियम का पूरी सख्ती से पालन कराने के लिए आदेश जारी किया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि सेवा प्रदान करने के लिए जो कागजात मांगे जाते हैं, वह दिए जाने वाले संबंधित सेवा का ही हिस्सा होता है। अलग से इसकी मांग करने का कोई औचित्य नहीं है।